Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 141/2024

Smt Ramkanwari W/o Late Sh. pukhraj, Aged About 35 Years, resident of Kumharon Ka Mohalla, Bhopalgarh, Jodhpur, Currently residing of A-73, Saraswati Nagar, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through the PP.
2. Dr. Praveen Prajapat, Director Shree Hariram Hospital and Research Centre, Sainik Basti, Nagaur Rajasthan.
3. Dr. Divya Ratan Dhawan S/o Sh. Surendra Kumar Dhawan, 193 - Frontier Colony, Adarsh Nagar, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Aditiya Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Sharwan Bishnoi, PP Mr. Himmat Singh Shekhawat Mr. Harish Purohit Mr. Shashank Ms. Vrinda Bhardwaj

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>Reserved on 09/07/2024</u>

<u>Pronounced on 25/07/2024</u>

<u>Reportable</u>

01. निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–7, जोधपुर महानगर (राज.) के आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया–याची की ओर से एक इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि परिवादिया–याची के पति पुखराज को दिनांक 24.03.2017 को श्री हरिराम हॉस्पिटल नागौर में पेट दर्द की शिकायत होने पर दिखाया गया। जहां पर कन्सलटेन्ट सर्जन डॉक्टर प्रवीण प्रजापत ने कहा कि मरीज के गुर्दे में पत्थरी है यदि जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो मरीज

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जिस पर मरीज ने हॉ भर दी। दिनांक 24.03.2017 को ही मृतक को हरीराम हॉस्पिटल नागौर में भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर प्रवीण प्रजापत द्वारा दिनांक 26.03.2017 को मध्य रात्री 03:30 बजे अर्थात 27.03.2017 को प्रातः 3:30 बजे प्रार्थिया के देवर श्यामलाल को बिना सूचित किये ही मरीज का पत्थरी का ऑपरेशन किया गया। मरीज के ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थियेटर में अन्य डॉक्टर जिनका नाम दिव्यरतन धवन था, भी उपस्थित थे। प्रार्थीया के पति के गुर्दों से छेड़छाड़ कर एक गुर्दा भी निकाल लिया गया। दिनांक 27.03.2017 को ऑपरेशन के पश्चात् से मरीज के पेशाब में रूकावट होने लगी एवं मरीज की हालत गंभीर होती गई।

03. समुचित चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीज की हालत ज्यादा खराब होने से डॉक्टर द्वारा अपनी निजी एम्बूलेंस से मरीज को जोधपुर श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जहां पर दिनांक 31.03.2017 को प्रार्थिया के पति पुखराज का निधन हो गया। इस बीच प्रार्थिया व उसके परिवारजन ने मरीज को राजकीय मथुरादास अस्पताल ले जाने की ईच्छा जाहिर की। डॉक्टर प्रवीण प्रजापत द्वारा दबाव डालकर श्रीराम अस्पताल में ही मरीज को भर्ती रखा गया। मृत्यु के पश्चात भी परिवारजन जब पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो हॉस्पिटल वालों ने उन्हें डरा धमका कर जबरदस्ती घर भेज दिया। मृतक की मृत्यु सेप्टिसिमिया व शरीर के ज्यादातर अंगों के काम बंद करने के कारण हुई है। अस्पताल के डाक्टरों ने ईलाज के दौरान लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने से पूरे शरीर में संक्रमण फैलने से मृत्यु हुई, इत्यादि। इस्तगासा प्रस्तुत होने पर इस्तगासा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान हेतु पुलिस थाना प्रताप नगर भिजवाया गया। जिन्होंने बाद आवश्यक अनुसंधान एफ आर अदम वकू झूठ में प्रस्तुत की। जिस पर परिवादी को तलब किया गया। जिसने नाराजगी याचिका प्रस्तुत की व समर्थन में स्वयं तथा गवाह श्यामलाल के बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध करवाये।

04. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2, जोधपुर महानगर द्वारा बहस सुनी जाकर अयाची संख्या 2 व 3 के विरूद्ध धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 02.09.2019 को प्रसंज्ञान लिया जाकर तलब किया गया।

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

05. अयाची संख्या 2 व 3 द्वारा दो अलग–अलग निगरानी, निगरानी न्यायालय में पेश की जिन दोनों निगरानियों का न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–7, जोधपुर महानगर (राज.) द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2023 द्वारा निस्तारित करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 02.09.2019 को निरस्त कर दिया गया और पुलिस थाना प्रताप नगर जोधपुर द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 475 / 30.11.2017 को स्वीकार किया गया और याची श्रीमती रामकंवरी द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज की गई जिस पर याची द्वारा यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

06. याचिका में यह निवेदन किया कि निगरानी न्यायालय द्वारा तथ्यों और दस्तावेजों पर सही तरीके से विचार नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया उपलब्ध मेटेरियल के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 02.09.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया। इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो श्रीराम हॉस्पिटल, जोधपुर द्वारा दिनांक 31.03.2017 को जारी किया गया। जिसमें प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण Septicemia with ARF (Acute renal failure), ARDS (Acute respiratory distress syndrome) and MODS (Multiple organ dysfunction syndrome) अंकित किया गया जो मेडिकल बोर्ड द्वारा भी माना गया। अनुसंधान अधिकारी व निगरानी न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि मरीज का ब्लड इन्फेक्शन लेवल दिनांक 24.03.2017 को काफी अधिक था, जो सेप्टिसीमिया उस समय भी होना स्पष्ट था। ऐसी अवस्था में मेडीकल प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्फेक्शन लेवल जब तक नॉर्मल रेंज का न हो तब तक ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए था। परन्तु नॉर्मल रेंज के पूर्व ही ऑपरेशन कर दिया गया। निगरानी में अन्य आधार वर्णित करते हुए यह निवेदन किया कि अयाचीगण की ग्रॉस नेग्लीजेंसी इस मामले में थी, इस आधार पर निगरानी न्यायालय का आदेश दिनांक 27.09.2023 निरस्त किये जाने व अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या –2, जोधपुर महानगर के आदेश दिनांक 02.09.2019 को रेस्टोर किये जाने की प्रार्थना की गई।

07. बहस याचिका सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा याचिका में वर्णित तथ्यों को दौराने बहस तर्कों के रूप में प्रस्तुत किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह मेडीकल नेग्लीजेंसी का मामला है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रसंज्ञान लिया गया वह आदेश विधिसम्मत था। निगरानी न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

गया वह निरस्त किये जाने का निवेदन किया और दौराने बहस विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया।

08. विद्वान अधिवक्ता अयाचीगण की ओर से इसका सख्त विरोध करते हुए विद्वान निगरानी न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होना बताते हुए पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की।

09. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहन अध्ययन किया। विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा इस न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों पर विस्तृत विवेचन करते हुए और इस मामले के तथ्यों, परिस्थितियों पर भी विस्तृत रूप से विचार करते हुए विचारण न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 02.09.2019 को निरस्त किया गया और दोनों निगरानियां स्वीकार की गई है। इस निर्णय में वर्णित न्यायिक दृष्टांतों व याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन इस मामले में किया जाना विधिसम्मत है।

10. जहां तक याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Mehmood Ul Rehman and ors. Vs. Khazir Mohammad Tunda and Ors. (AIR 2015SC2195) के मामले में धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता के तहत परिवाद न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में पैरा संख्या 17 में निम्नानुसार विवेचन किया गया हैः–

> "17. In Jagdish Ram v. State of Rajasthan and Anr., (2004) 4 SCC 432, the law was restated holding that at the stage of issuing process to the accused, the Magistrate is not required to record reasons. However, he has to be satisfied that there is sufficient ground for proceeding and such satisfaction is not whether there is sufficient ground for conviction. To quote:
>
> > 10....The taking of cognizance of the offence is an area exclusively within the domain of a Magistrate. At this stage, the Magistrate has to be satisfied whether there is sufficient ground for proceeding and not whether there is sufficient ground for conviction. Whether the evidence is adequate for supporting the conviction, can be determined only at the trial and not at the stage of inquiry. At the stage of issuing the process to the accused, the Magistrate is not required to record reasons."

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

11. इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Dy. Chief Controller Of Imports And Exports VS Roshanlal Agarwal AIR 2003(SC) 1900 के मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5 इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट (कन्ट्रोल) अधिनियम 1947 के तहत स्पेशल कोर्ट (इकॉनोमिक ऑफेन्सेज) में परिवाद पेश किया गया था जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार करते हुए पैरा सं. 8 व 9 निम्नानुसार उल्लेखित किया गया :–

> "8. The second reason given by the High Court for allowing the petition filed by the respondents (accused) is that the order passed by the Special Court taking cognizance of the offence does not show that the learned Magistrate had even perused the complaint or that he had applied his judicial mind before taking of the cognizance. The order passed by the learned Magistrate reads as under :
>
> > "Cognizance taken. Register the case. Issue summons to the accused."
> >
> > 9. In determining the question whether any process is to be issued or not, what the Magistrate has to be satisfied is whether there is sufficient ground for proceeding and not, whether there is sufficient ground for conviction. Whether the evidence is adequate for supporting the conviction, can be determined only at the trial and not at the stage of inquiry. At the stage of issuing the process to the accused, the Magistrate is not required to record reasons. This question was considered recently in U.P. Pollution Control Board v. M/s Mohan Meakins Ltd. & Ors., AIR 2000 SC 1456 and after noticing the law laid down in Kanti Bhadra Shah v. State of West Bengal, AIR 2000 SC 522, it was held as follows :
> >
> > "The legislature has stressed the need to record reasons in certain situations such as dismissal of a complaint without issuing process. There is no such legal requirement imposed on a Magistrate, for passing detailed order while issuing summons. The process issued to accused cannot be quashed merely on the ground that the Magistrate had not passed a speaking order."

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

12. इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत S. K. Sinha, Chief Enforcement Officer VS Videocon International Ltd. , AIR 2008(SC) 1213 के मामले में भी परिवाद पेश किया गया था जो धारा 18(2) व 18(3) सपठित धारा 68(1) व सपठित धारा 56(1) II FERA के तहत पेश किया गया था के मामले में पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार विवेचन किया गया है :-.

> "12.The expression cognizance has not been defined in the Code. But the word (cognizance) is of indefinite import. It has no esoteric or mystic significance in criminal law. It merely means become aware of and when used with reference to a Court or a Judge, it connotes to take notice of judicially. It indicates the point when a Court or a Magistrate takes judicial notice of an offence with a view to initiating proceedings in respect of such offence said to have been committed by someone. Taking cognizance does not involve any formal action of any kind. It occurs as soon as a Magistrate applies his mind to the suspected commission of an offence. Cognizance is taken prior to commencement of criminal proceedings. Taking of cognizance is thus a sine qua non or condition precedent for holding a valid trial. Cognizance is taken of an offence and not of an offender. Whether or not a Magistrate has taken cognizance of an offence depends on the facts and circumstances of each case and no rule of universal application can be laid down as to when a Magistrate can be said to have taken cognizance."

13. विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा संख्या (14)(9)ए में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के निर्णय Bhagwan Sahai Khandelwal VS State of Rajasthan, 2006 1 RLW(Raj) 640 पर विचार किया गया। इस न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या 6 व 7 में निम्नानुसार विवेचन किया गया हैः-

> "(6). Life and personal liberty of every person is of utmost importance. Hence, life and personal liberty cannot be interfered with without a reasonable cause and without a procedure established by law. Taking of cognizance is, thus, a serious matter. For it involves disturbing the life and personal liberty of a person. Facing of a criminal trial is an ordeal, which adversely affects the reputation, the finance, the energy and the time of the alleged offender. Thus, taking of cognizance cannot be done in a mechanical manner. It should be done after a

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

judicious application of mind to the facts and circumstances of each case. Although, a meticulous examination of evidence is not required at the stage of taking cognizance, but the Magistrate must consider the case in a holistic manner. Piecemeal consideration of the evidence does not commensurate with the judicial vision. Hence, in case a FIR or a complaint is followed by a negative Final Report, which is subsequently followed by a protest petition, while allowing the protest petition, a Judicial Magistrate is legally bound to discuss the negative Final Report. Such a discussion is warranted for three reasons; firstly, the Principles of Natural Justice demand and dictate that any order adversely affecting a right should be a speaking order. Although a elaborate discussion may not be required, but the order must contain sufficient reasons showing the application of a judicious mind, for disagreeing with the negative Final Report. Secondly, since the cognizance order is a revisionable order, the Higher Judicial Authorities have a right to know the reasons, which weighed in the mind of the Judicial Magistrate for disagreeing with the negative Final Report. In the absence of such reasons, the Higher Judicial Authorities (the Sessions Court or the High Court) are left in the dark. Thirdly, it is a settled doctrine of law that ``justice should not only be done, but also must appear to be done. Therefore, the accused has a right to know the reasons why the learned Judicial Magistrate has disagreed with the negative Final Report submitted by the Police after a thorough investigation. In case, such reasons are not stated, alleged offender may find it difficulty to question the validity of the reasoning, hence a cryptic order is not a judicious order whereas cognizance order should always be a judicious order.

(7). In case of Sampat Singh vs. State of Haryana (1993 SCC (Cri.) 376), the Honble Supreme Court had clearly stated that the Magistrate must give reason for disagreeing with the negative Final Report. In case, no such reasons are given, then the order is unsustainable in the eyes of law. Taking a cue from the said judgment, this Court, in case of Gopal Sharma vs. State of Rajasthan [2005 (10) RDD 4197 (Raj.)], has held a similar view."

14. इस न्यायालय के भगवान सहाय खण्डेलवाल(Supra) वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के सम्पतसिंह(Supra) के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया गया है सम्पतसिंह(Supra) के न्यायिक दृष्टांट के पैरा संख्या 6 में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है :—

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

> "6. Needless to say, it is not for a Court to keep track of an investigation and watch its day to day progress but, of course, when an investigation culminates into a final report as contemplated under Section 173 of Cr.P.C., then the competent Court enjoins a duty within its authority sanctioned by law to scrupulously scrutinise the final report and the accompaniments by applying its judicial mind and take a decision either to accept or reject the final report. In the present case, that stage has come on the submission of the final report, namely the cancellation report, by the Investigating Officer."

15. पूर्व में वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम हस्तगत मामले पर विचार किया जा रहा है। हस्तगत मामले में याची की ओर से प्रस्तुत परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना प्रताप नगर, जोधपुर को भेजा गया जिस पर बाद जांच अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 475 दिनांक 30.11.2017 को पेश किया गया। जिस पर याची द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर दो गवाहान के बयान करवाये गये थे। तत्पश्चात बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2019 को अयाची संख्या 2 व 3 के विरूद्ध धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। इस आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा एफआर में प्रस्तुत आधारों का विवेचन नहीं किया गया और मेडीकल बोर्ड द्वारा जो राय दी गई थी उस पर भी प्रथम दृष्टया ही विचार नहीं किया गया। केवल मात्र इसी आधार पर ही विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 02.09.2019 निरस्त योग्य था और इस पर निगरानी न्यायालय द्वारा विचार कर इस आधार पर निगरानी स्वीकार की गई और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया।

16. याची की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में परिवाद पर दर्ज मामलों में न्यायालय में जांच की गई थी। पुलिस द्वारा इन तीनों मामलों में अनुसंधान नहीं किया गया था। ऐसी अवस्था में याची की ओर से प्रस्तुत तीनों न्यायिक दृष्टांतों का कोई लाभ हस्तगत मामले में प्राप्त करने की याची अधिकारिनी नहीं है और निगरानी न्यायालय द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के निर्णय भगवान सहाय खण्डेलवाल (Supra) जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्पतसिंह (Supra) के निर्णय पर

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

आधारित है, के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक भूल नहीं की गई है।

17. अब इस मामले में मेडीकल नेग्लीजेंस के संबंध में विधिक स्थिति पर विचार किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत Malay Kumar Ganguly VS Sukumar Mukherjee, 2010 AIR(SC) 1162 के मामले में पैरा संख्या 203 में निम्नानुसार विवेचन किया है :–

> "The jurisprudential concept of negligence differs in civil and criminal law. What may be negligence in civil law may not necessarily be negligence in criminal law. For negligence to amount to an offence the element of mens rea must be shown to exist. For an act to amount to criminal negligence, the degree of negligence should be much high degree. A negligence which is not of such a high degree may provide a ground for action in civil law but cannot form the basis for prosecution. To prosecute a medical professional for negligence under criminal law it must be shown that the accused did something or failed to do something which in the given facts and circumstances no medical professional in his ordinary senses and prudence would have done or failed to do."

18. विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा इस संबंध में भी विचार किया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Martin F. D'Souza VS Mohd. Ishfaq 2009 (3) SCC 1 के पैरा संख्या 28 लगायत 38 व पैरा संख्या 54 व अन्य पैरों पर विचार किया गया। जिनमें से मेरे द्वारा के पैरा संख्या 35, 38 पर विचार किया गया, जो निम्नानुसार है :–

> "35. Before dealing with these principles two things have to be kept in mind:
> (1) Judges are not experts in medical science, rather they are lay men. This itself often makes it somewhat difficult for them to decide cases relating to medical negligence. Moreover, Judges have usually to rely on testimonies of other doctors which may not necessarily in all cases be objective, since like in all professions and services, doctors too sometimes have a tendency to support their own colleagues who are charged with medical negligence. The testimony may also be difficult to understand, particularly in complicated medical matters, for a layman in medical matters like a

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

Judge; and (2) A balance has to be struck in such cases. While doctors who cause death or agony due to medical negligence should certainly be penalized, it must also be remembered that like all professionals doctors too can make errors of judgment but if they are punished for this no doctor can practice his vocation with equanimity. Indiscriminate proceedings and decisions against doctors are counter productive and serve society no good. They inhibit the free exercise of judgment by a professional in a particular situation.

38. The basic principle relating to medical negligence is known as the BOLAM Rule. This was laid down in the judgment of Justice McNair in Bolam vs. Friern Hospital Management Committee2 (1957) 1 WLR 582 as follows :

"Where you get a situation which involves the use of some special skill or competence, then the test as to whether there has been negligence or not is not the test of the man on the top of a Clapham omnibus, because he has not got this special skill. The test is the standard of the ordinary skilled man exercising and professing to have that special skill. A man need not possess the highest expert skill.....It is well-established law that it is sufficient if he exercises the ordinary skill of an ordinary competent man exercising that particular art."

Bolam's test has been approved by the Supreme Court in Jacob Mathew's case."

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Bombay Hospital & Medical Research Centre Versus Asha Jaiswal & Ors. Civil Appeal No. 1658 Of 2010 Judgment date November 30, 2021.(2021 SCC online SC 1149) के मामले में पैरा संख्या 36 में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है :–

"36. --------- the sole basis of finding the appellants negligent was res ipsa loquitor which would not be applicable herein keeping in view the treatment record produced by the Hospital and/or the Doctor. There was never a stage when the patient was left unattended. The patient was in a critical condition and if he could not survive even after surgery, the blame cannot be passed on to the Hospital and the Doctor who provided all possible treatment within their means and capacity. ----- The family may not have coped with the loss of their loved one, but the Hospital and the Doctor cannot be blamed as they provided the requisite care at all given times. No doctor can

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

assure life to his patient but can only attempt to treat his patient to the best of his ability which was being done in the present case as well."

20. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Mrs. Kalyani Raja Versus Indraprastha Appollo Hospital & Ors. Civil Appeal No. 10347 Of 2010 Date of Judgment October 17, 2023. (2023 INSC 921) के मामले में भी मार्टिन एफ डिसूजा (Supra) व माननीय उच्चतम न्यायालय के बॉम्बे हॉस्पिटल एण्ड मेडीकल रिसर्च सेन्टर (Supra) तथा याची की ओर से प्रस्तुत मलय कुमार गांगूली (Supra) के मामलों पर विचार किया गया और इस मामले में पैरा संख्या 31 व 32 में निम्नानुसार उल्लेखित किया गयाः—

"31. The case in hand stands on a better footing, in as much as there was no mistake in diagnosis or a negligent diagnosis by Respondent no. 2. In the absence of the patient having any history of diabetes, hypertension, or cardiac problem, it is difficult to foresee a possible cardiac problem only because the patient had suffered pain in the neck region.
32. For the foregoing, this Court is of the considered view that the appellant has failed to establish negligence on the part of Respondents in taking post operative care and the findings in this regard recorded by the Commission does not suffer from any illegality or perversity."

21. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत मामले पर विचार किया गया। हस्तगत मामले में निगरानी न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा एकत्रित की गई मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट का विवेचन किया गया और स्पष्ट रूप से माना कि मेडीकल नेग्लीजेंस का मामला प्रथम दृष्टया ही प्रतीत नहीं होता इस आधार पर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.09.2019 निरस्त किया गया।

22. इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया गया। पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में भेजे गये पत्र दिनांक 16.11.2017 के क्रम में कार्यालय अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 20.11.2017 में चार डॉक्टरों का मेडीकल बोर्ड बनाया जिसमें सर्जन, फिजिशीयन, यूरोलोजिस्ट, एनेसथैटिस्ट थे जिनके द्वारा जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

से 7 में अपनी राय दी गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट में याची की ओर से मुख्य आधार जो लिया गया था कि ऑपरेशन के दौरान शरीर से गुर्दा निकाल लिया वह सही नहीं माना और स्पष्ट किया गया कि दिनांक 26.03.2017 को मरीज का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के पश्चात NCCT Abdomen के अनुसार दोनों गुर्दे शरीर के अन्दर ही पाये गये। यह CT Scan दिनांक 29.03.2017 को श्रीराम अस्पताल में किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया कि अभियुक्त संख्या 3 डॉक्टर प्रवीण प्रजापत ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही पूर्वक मरीज की पैशाब की नली में Instrument डालकर पत्थरी क्रेश करके निकालने तथा स्टंट डालने से पूरे शरीर में संक्रमण फैलने से मरीज की मृत्यु हुई। जबकि मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दोनों गुर्दों में बड़ी साईज की पत्थरी थी और बाँये गुर्दे के पाईप में भी पत्थरी फंसी हुई थी ऑपरेशन की जाने की आवश्यकता थी और यह स्पष्ट किया कि –

> ''PCNL एक blind surgery है जो कि C-Arm guidance से की जाती है, चूंकि इस सर्जरी में direct गुदे में puncture किया जाता है तथा अन्दर पत्थरी में भी infective bacterial colonies होती है जिससे मरीज के अन्दर septicemia के chances भी रहते हैं। Specilally .उन मरीजों में जिसमें दोनों गुर्दों में पत्थरी हो तथा obstructive पत्थरी हो। इस मरीज में UVJ calculus था तथा TLC .भी अधिक थी, जिससे यही आभास होता है कि इस तरह के मरीजों में Septicemia की सम्भावना सामान्य मरीजों से अधिक होती है।''

मेडीकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में जिस प्रकार से ऑपरेशन किया गया वह मेडीकल प्रोटोकॉल के मुताबिक न किया गया हो ऐसी राय नहीं दी गई है।

23. इस मामले में मेडीकल बोर्ड की जो राय है उसके मुताबिक ऑपरेशन दिनांक 26.03.2017 को सुबह चार बजे किया गया और मरीज करीब पचास घंटे तक ठीक था, उसके parmeters(pulse, BP) तथा urine output करीब–करीब सामान्य था जिससे यह प्रतीत होता है कि मरीज के अन्दर किसी प्रकार की anaesthetic complication की सम्भावना इस मामले में नहीं है और immediate surgical complication की सम्भावना भी कम है।

24. इस मामले में मृत्यु का कारण Septicemia with MODS(ARDS, ARF) होना बोर्ड द्वारा बताया गया। Septicemia के बारे में यह अंकित किया है कि यह बाद में ज्ञात होने वाली surgical complication है। चार डॉक्टरों के द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट दस्तावेजात के आधार पर दी गई है, यदि इन डॉक्टरों को यह प्रतीत होता कि

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

इस मामले में ऑपरेशन के समय लापरवाही रही है तो अवश्य ही इस बाबत राय प्रकट की जाती।

25. इस मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन में याची द्वारा यह बताया गया था कि डॉक्टर प्रवीण प्रजापत सोनोग्राफी विशेषज्ञ नहीं था। फिर भी सोनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। इस संबंध में निगरानी न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 14(7) में वर्णित अनुसार समुचित प्राधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी., उपखण्ड नागौर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.01.2022 के द्वारा डॉक्टर प्रवीण कुमार को सोनोग्राफी के लिए अधिकृत किया हुआ था इससे निगरानी न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर प्रवीण कुमार सोनोग्राफी करने के लिए अधिकृत है। याचिका में इस तथ्य का कोई खण्डन याची की ओर से नहीं किया गया, न ही दौराने बहस इस बाबत कोई तर्क प्रस्तुत किया। ऐसी अवस्था में प्रोटेस्ट पिटीशन में जो डॉक्टर प्रवीण प्रजापत का सोनोग्राफी के लिए अधिकृत नहीं होने बाबत आपत्ति की गई वह आपत्ति भी प्रथम दृष्टया ही चलने योग्य नहीं है। इस मामले में निगरानी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अनुसंधान रिपोर्ट पर विस्तृत विवेचन किया तथा पैरा संख्या 14(6) में यह स्पष्ट किया कि डॉक्टर दिव्यरतन धवन जयपुर से ऑपरेशन करने के लिए श्री हरीराम हॉस्पिटल, नागौर आये थे और ऑपरेशन के उपरान्त मरीज की जॉच की थी उसका स्वास्थ्य सामान्य पाये जाने पर वे जयपुर चले गये और उसके उपरान्त फोन पर डॉक्टर प्रवीण प्रजापत के सम्पर्क में थे। अतः यह नहीं माना जा सकता कि मरीज का इलाज टेलीफोन से किया गया हो।

26. निगरानी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा संख्या 14(3) में यह भी स्पष्ट किया है कि अनुसंधान में यह भी पाया गया कि डॉ. प्रवीण प्रजापत द्वारा ऑपरेशन नहीं किया गया। एनस्थीसिया डॉ. बी.आर. सारण द्वारा फिटनेश देने के बाद युरोलोजिस्ट सर्जन डॉ. दिव्यरतन धवन द्वारा ऑपरेशन किया गया।

27. इस मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनी अनुसंधान रिपोर्ट में विस्तृत विवेचन किया गया है और निगरानी न्यायालय द्वारा उस पर विचार कर विस्तृत रूप से आदेश पारित किया गया है। याची के पति की मृत्यु हो जाने से स्वाभाविक रूप से अपनी पीड़ा के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवाद के आधार पर दर्ज करवाई गई और इस न्यायालय में भी याची अपना मामला लेकर आई है। परन्तु प्रसंज्ञान के लिए प्रथम

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)

दृष्टया मेडीकल नेग्लीजेंसी की साक्ष्य होने पर ही डॉक्टरों के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। केवल याची की पीड़ा के आधार पर प्रसंज्ञान लिया जाना विधिसम्मत नहीं है।

28. हस्तगत मामले में निगरानी न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला अयाची संख्या 2 व 3 के मेडीकल नेग्लीजेंसी के आधार पर धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता में बनना नहीं पाया जाकर जो प्रसंज्ञान विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया उसे निरस्त किया गया है। इस न्यायालय को धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्वान निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2023 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः निगरानी न्यायालय का आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

29. याची की याचिका अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज की जाती है तथा निगरानी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–7, जोधपुर महानगर द्वारा अयाचीगण संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत फौजदारी निगरानी याचिका संख्या 42/2020 व 41/2022 में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 की पुष्टि की जाती है।

30. तदनुसार, याची की ओर से प्रस्तुत यह फौजदारी विविध याचिका निस्तारित की जाती है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

3-SN LOHRA/-

(Downloaded on 31/01/2025 at 12:19:12 PM)